फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	04/7/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] कार्यवाही [illegible] 15/7/24 को पेश हो।
	15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते इंतजार कुरेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 26/7/24 को पेश हो।
	26/07/24	पत्रावली पेश हुई। वादीयागण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में चाही गई कुरेजात रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू0अ0/2024/4101 दिनांक 24.07.2024 द्वारा प्राप्त होकर शामिल मिशल है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने पर वकील वादीयागण ने वादीयाण का वाद अंतिम निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर सगौर मनन करने व वकील उभयपक्ष द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने से वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2/1 रकबा 0.3414 है0 स्थित ग्राम खोरी प.ह. डार भू0अ0नि0 दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा नम्बर 2/1/1 रकबा 0.1138 है0 की भूमि खातेदार गनभर पत्नी हरचन्दा जाति मीना सा. बडीयाली ढाणी खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 2/1/2 रकबा 0.1138 है0 की भूमि खातेदार विमला मीना पत्नी रामखिलाडी सा. बडीयाली ढाणी खोरी तह. बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा 2/1/3 रकबा 0.0569 है0 की भूमि खातेदार मोतीलाल पुत्र भौरीलाल जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा 2/1/4 रकबा 0.0569 है0 की भूमि खातेदार रामनारायण पुत्र भौरीलाल जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमल

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	दरामद की कार्यवाही करें। इस आशय की तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादीयागण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मनभर देवी पत्नी हरचन्दा 2. विमला देवी पत्नी रामखिलाड़ी समस्त जाती मीणा, निवासी ग्राम खोरी, बडयाली ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।		1. मोतीलाल पुत्र भौरीलाल 2. रामनारायण पुत्र भौरीलाल समस्त जाती मीणा, निवासी ग्राम खोरी, बडयाली ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 197/2023

वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2/1 रकबा 0.3414 है0 स्थित ग्राम खोरी प.ह. झर भू0अ0नि0 दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा नम्बर 2/1/1 रकबा 0.1138 है0 की भूमि खातेदार मनभर पत्नी हरचन्दा जाति मीना सा. बडीयाली ढाणी खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 2/1/2 रकबा 0.1138 है0 की भूमि खातेदार विमला मीना पत्नी रामखिलाड़ी सा. बडीयाली ढाणी खोरी तह. बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा 2/1/3 रकबा 0.0569 है0 की भूमि खातेदार मोतीलाल पुत्र भौरीलाल जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा 2/1/4 रकबा 0.0569 है0 की भूमि खातेदार रामनारायण पुत्र भौरीलाल जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करें। ....निजी..................मुबलिक.....................बाबत.................................खर्चा.......................
..............इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मोहदा.................

दस्तख्त............
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण

ुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
हन्ता वकील			महन्ता वकील		
र्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
ाबत इजराय			बावत इजराय		
ुक्मनामा			हुक्मनामा		
ुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

ोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो ा नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण